

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक ५४६ / ८३६, २०१९ / व -१ / चाप्,
भ्रति,

भोपाल, दिनांक ३१/०८/२०१९

अपर गुरुख सचिव/प्रगुरुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:- महालेखाकार मध्यप्रदेश की टिप्पणी उपरांत रु.10 करोड़ से अधिक राशि के वसूली के प्रकरणों की सूची भेजने बाबत ।

-::000::-

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न विभागों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में शासकीय व्यय की अनियमितता तथा संबंधित से वसूली का उल्लेख होता है। लोक लेखा समिति द्वारा भी इन वसूलियों पर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। उक्त के संबंध में वर्ष 2004 से 2018 के मध्य महालेखाकार मध्यप्रदेश की टिप्पणी उपरांत रु.10 करोड़ से अधिक राशि के अनुशासित वसूली के प्रकरणों की सूची दिनांक ०५/०९/२०१९ तक वित्त विभाग को प्रेषित करने का अनुरोध है।

(नीरज कुमार सिंह)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग